



यह कार्यनीति विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए सुधार कैसे प्राप्त करेगी?

कार्यनीति को विकलांगता-ग्रस्त लोगों के जीवन में सुधार लाने में सहायता देने के लिए:



• प्रत्येक परिणाम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नीति प्राथमिकताओं के अनुरूप वितरण के लिए सरकारें गतिविधियाँ शुरू करेंगी।



• अनेकानेक लक्षित कार्य योजनाएँ बनाई जाएँगी, जो सरकारों को विशिष्ट कार्य-कलापों के लिए प्रतिबद्ध करेंगी। पहली पांच लक्षित कार्य योजनाएँ रोजगार, सामुदायिक दृष्टिकोण, आरंभिक बचपन (एर्ली चाइल्डहुड), सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन के बारे में हैं।



• प्रतिवर्ष सार्वजनिक रिपोर्टें बनाई जाएँगी, जो प्रगति का मापन करेंगी तथा और अधिक प्रयास की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करेंगी।



• विकलांगता-ग्रस्त लोगों के पास सरकारों को यह बताने के तरीके उपलब्ध होंगे कि उनके विचार में कार्यनीति को क्या करने की आवश्यकता है। इसमें विकलांगता-ग्रस्त लोगों की सदस्यता वाली एक सलाहकार परिषद और विकलांगता-ग्रस्त लोगों के बारे में नियमित रूप से आयोजित किए जाने वाले सार्वजनिक परामर्श एवं मंच भी शामिल हैं।

कार्यनीति के बारे में सरकारों ने किसके साथ परामर्श किया?

सरकारों ने कार्यनीति को विकसित करने के हिस्से के रूप में 3,000 से भी अधिक विकलांगता-ग्रस्त लोगों और उनके परिवारों, देखभालकर्ताओं और प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया।

परामर्शों से प्राप्त प्रतिक्रिया ने कार्यनीति को काफी अधिक प्रभावित किया।

मुझे और अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?

आप वेबसाइट www.disabilitygateway.gov.au/ads पर ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021 - 2031 पढ़ सकते/सकती हैं तथा और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

यह कार्यनीति और इसके सहायक दस्तावेज ईज़ी रीड, ऑस्लैन और भाषा अनुवादों में उपलब्ध हैं।

यदि आपके पास कार्यनीति के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया australia'sdisabilitystrategy@dss.gov.au पर ईमेल भेजें।

आपको विकलांगता-ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) के बारे में और अधिक जानकारी वेबसाइट www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html पर मिल सकती है।

